



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय-विश्वविद्यालय)

धो-४, कुतुब सांस्कृतिक क्षेत्र, नई दिल्ली-११००१६

विषय : दिनांक २४.०६.२०२४ को पूर्वाह्न ११.३० बजे आयोजित विद्या परिषद् की बौद्धी बैठक का
स्मार्यवृत्ति

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), नई दिल्ली की
पिंड परिषद् के नैवों थैंडक दिनांक 24.06.2024 को पूर्वाह्न 11.30 बजे कुलपति महोदय की अध्यक्षता में
ऑफलाइन/ऑनलाइन माध्यम से वाचस्पति सभागार में सम्पन्न हुई। थैंडक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग।
तिप्पणी :-

1. प्रो. मुरलीनंदन शाठक	अध्यक्ष	
2. प्रो. नृदला त्रिपाठी	वाद्य सदस्य	(ऑनलाइन)
3. प्रो. घनारसन त्रिपाठी	वाद्य सदस्य	(ऑनलाइन)
4. प्रो. भगवान कुमार मिश्र	वाद्य सदस्य	
5. प्रो. रमेश प्रसाद शाठक	सदस्य	
6. प्रो. त्रिमुति कुनार शर्मा	सदस्य	(ऑनलाइन)
7. प्रो. जगदन सिंह	सदस्य	
8. प्रो. दंबो प्रस्तुद त्रिपाठी	सदस्य	(ऑनलाइन)
9. प्रो. ए.एस. व्याप्रमुखन	सदस्य	
10. प्रो. भागीरथ नन्द	सदस्य	
11. प्रो. शुक्लेश शोई	सदस्य	
12. प्रो. मीनू करमज	सदस्य	
13. प्रो. शोदला प्रसाद शुक्ल	सदस्य	
14. प्रो. कल्पना जैन	सदस्य	
15. प्रो. सुर्योप कुमार जैन	सदस्य	
16. प्रो. वीर सागर जैन	सदस्य	
17. प्रो. अत्रकण्ठनाथ तिवारी	सदस्य	
18. प्रो. देवेन्द्र प्रज्ञात मिश्र	सदस्य	
19. प्रो. दिव्याकर दट शर्मा	सदस्य	
20. प्रो. यशवीर सिंह	सदस्य	
21. प्रो. रवना वर्मा योहन	सदस्य	
22. प्रो. शिवरामकान्त निध्र	सदस्य	
23. प्रो. राम चन्द्र शर्मा	सदस्य	
24. प्रो. राम सलाही द्विवेदी	सदस्य	

सदस्य
सत्यापिता
VERIFIED

(ऑनलाइन)

५१८

संग्रहीत / Registered

श्री लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
धो-४, कुतुब मार्ग, नई दिल्ली-११००१६, भारत
Phone: +91 11 23311000

१५. ए. गोप्तवा	गोप्तवा
१६. प्र. अमरदास	अमरदास
१७. द्वे. अदेवा	अदेवा
१८. द्वे. जगदेव कुमार शर्मा	जगदेव
१९. डॉ. मनोज कुमार चोणा	मनोज
२०. डॉ. अभिरेक गिवारे	अभिरेक
२१. श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव	वालसधिन (प्राप्तारी) एवं सचिव

प्रो. ए.एस. आगाममुद्दन, दर्शन भीठाध्यक्ष के मंगलाचरण से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।
 प्रो. मुरलोमनोहर शाठक, अध्यक्ष, विद्या परिषद् द्वारा विद्या परिषद् में उपस्थित वाल्ल एवं विश्वविद्यालय के सदस्यों का स्वागत किया गया। तथा सभी सदस्यों को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों में अधिक से अधिक सुनाव एवं मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया गया, जिससे विश्वविद्यालय अधिकारिक रूप से ओर अप्रसर हो सके। विश्वविद्यालय की समस्त शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशानुसार सुचारू रूप से पूर्ण किया जा रहा है तथा ईकाइयिक सत्र 2023-24 में छात्रों के प्रवेश हेतु समयबद्ध रूप से किये गये कार्यों तथा समस्त पाद्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों की सर्वीय परीक्षाएँ सम्पन्न कराने के लिए विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक वर्ग के सदस्यों की भूमिका सराहनीय है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 05.12.2023 को विश्वविद्यालय परिसर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षान्त सनार्ह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्वौपदी मुरुं तथा माननीय शिक्षामंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। दीक्षान्त समारोह की सफलता के लिए सम्मिलित समस्त सदस्यों को धधाई दी गई तथा महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्वौपदी मुरुं एवं माननीय शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। तत्परतात कुलपति महोदय की स्वीकृति से कूलसचिव (प्रभारी) द्वारा विद्या परिषद् को नौवीं बैठक की कार्यसूची को क्रमानुसार प्रस्तुत किया गया।

संक्षेप नंख्या १.१ : विद्या परिषद् की दिनांक 19.06.2023 को सम्पन्न हुई सातवाँ बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

सर्वसम्मति से विद्या परिषद् द्वारा दिनांक 19.06.2023 को सम्पन्न हुई सातवें बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गयी।

संकल्प संख्या १३ : विद्या परिषद् की दिनांक 19.06.2023 को सम्पन्न मुई सातवें बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही के प्रतिवेदन की सुषिटि ।

दिनांक 19.6.2023 को सम्पन्न हुई सातवीं वैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन पर कार्यवाही के विषय में विद्या परिषद् द्वारा पुस्ट की गई हथाअधोलिखित संकल्प संलग्न पर विचार-विमर्श के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

संकल्प संख्या ७.१८ : विभागाध्यक्ष, व्याकरण, प्राकृत भाषा एवं धर्मशास्त्र विभाग द्वारा प्रेपित प्रत्याव के अनुसार सम्बन्धित विभागों के अन्तर्गत नए पाठ्यक्रम संचालित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव विद्या परिषद के अवलोकनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत संत्यापित

VERIFIED

श्री लाल बाहार शास्त्री विश्वविद्यालय / Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
श्री लाल बाहार शास्त्री विश्वविद्यालय / Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
वी-४, कुरुक्षेत्र साम्यनिधि नगर, नई दिल्ली-११००१६
B-4, Gurukul Samyavasini Nagar, New Delhi-110016

7.18.1 : विभागाध्यक्ष, व्याकरण विभाग द्वारा व्याकरण विभाग के अन्तर्गत एकवर्षीय पी.जी डिप्लोमा-संस्कृत गाया विज्ञान स्वेच्छा पाठ्यक्रम को अन्तर्गत संचालित करने हेतु विद्या परिपद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान की हुई है। पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु प्रवेश अर्हता, प्रवेश शुल्क, प्रवेश हेतु स्थान तथा पाठ्यक्रम को तैयार करने हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा अध्ययन मण्डल की टैटक आयोजित फर कूट कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जानी है, तुप्रपरान्त स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धतानुसार प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ को जा सकती है।

7.18.2 : प्रो. सुदीप कुमार जैन, विभागाध्यक्ष, प्राकृत भाषा द्वारा प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत है, जिसका विवरण निम्न है :-

01. विश्वविद्यालय की ओर से सो.यू.इ.टी. के संयोजकों य निर्देशकों को विश्वविद्यालय की ओर से आदर्श सम्भावित प्रश्नों का एक सो.यू.इ.टी. के प्रश्नों के मानकों के अनुरूप प्रश्नपत्र एवं पूछे जाने योग्य विषयों का विवरण भिजवाया जाए।

02. विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग में वार्षिक रूप में कार्यरात्रा य संगोष्ठी आदि के आयोजन के लिए प्रतिवर्ष एक रूप वजट निर्धारित किये जाने के संबंध में।

03. विभागाध्यक्ष कार्यालय में लिपिक मी. सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

04. प्रत्यक्ष विभाग में शास्त्र-संदर्भी गुणवत्ता हेतु शोध गतिविधियों भासक प्रणाली निर्धारित करने हेतु समिति का गठन करने के संबंध में।

उद्दत के संबंध में आवश्यक कार्यवाही संवेदन अन्य विभागों के समन्वय से शोधशिक्षक विभाग द्वारा सुनिश्चित की जानी है।

7.18.3 : विभागाध्यक्ष, धर्मशास्त्र विभाग द्वारा धर्मशास्त्र विभाग के अन्तर्गत

1) बी.ए, एल.एल.बी. पाठ्यक्रम,

2) प्राचीन विधि शास्त्र अंशकालीन पाठ्यक्रम,

3) मानवाधिकार अंशकालीन पाठ्यक्रम

संचालित करने हेतु विद्या परिपद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति है। पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु प्रवेश अर्हता, प्रवेश शुल्क, प्रवेश हेतु स्थान तथा पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार करने हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा अध्ययन मण्डल की टैटक आयोजित कर कूट कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जा सकती है। इसके निरंतरता में एक टेबल एजेंडा 9.30 (7) पर विद्या परिपद का संकल्प पारित है।

संकल्प नंंद्या 7.20 (5) : विभागाध्यक्ष, ज्ञानव्ययोग द्वारा विभाग के अन्तर्गत नये पाठ्यक्रम संचालित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव विद्या परिपद के अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत।

प्रो. मार्कडेनाथ तिवारी द्वारा सूचित किया गया कि इस पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाना है। यह पाठ्यक्रम इस सत्र से प्रारम्भ नहीं किया जा सकता।

वैठक में दिनांक 19.06.2023 के अन्य संकल्पों को पुष्टि की गई तथा यह निर्णय

सत्यापित
VERIFIED

लिया गया था जिन विषयों पर किन्तु कारणवश अभी तक कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो सकी थी। यथास्थिति विभाग/समिति उन विषयों पर यथाशीघ्र आदरणक कार्यवाही सम्पन्न कर कर कर कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें।

संकल्प संख्या १.३ :

विद्या परियोग की दिनांक 24.11.2023 को सम्पन्न हुई आठवीं (विशेष) बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

सर्वसम्मति से विद्या परियोग द्वारा दिनांक 24.11.2023 को सम्पन्न हुई आठवीं (विशेष) बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गयी।

संकल्प संख्या १.४

विद्या परियोग की दिनांक 24.11.2023 को सम्पन्न हुई आठवीं (विशेष) बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही के प्रतिवेदन की पुष्टि।

दिनांक 24.11.2023 को सम्पन्न हुई आठवीं (विशेष) बैठक में लिये गये निर्णयों पर कार्यवाही के विषय पर प्रस्तुत कृत कार्यवाही की विद्या परियोग द्वारा पुष्टि की गई। विद्या परियोग द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि जिन विषयों पर कृत कार्यवाही किन्तु कारणवश अभी तक अपेक्षित है, सम्बन्धित विभाग/समिति उन विषयों पर यथाशीघ्र आदरणक कार्यवाही सम्पन्न कर कर कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें।

संकल्प संख्या १.५ :

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अस्थाई रूप से पंजीकृत शोध छात्रों के स्थाई पंजीकरण हेतु दिनांक 29, 30 एवं 31 जनवरी 2024 को आयोजित शोध मण्डल की बैठक का कार्यवृत्त विद्या परियोग की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में पंजीकरण हेतु शोध मण्डल की बैठक दिनांक 29, 30 एवं 31 जनवरी, 2024 को आयोजित की गई थी। शोध मण्डल के समक्ष सम्बन्धित विभागों में पंजीकृत शोध छात्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रस्तुतीकरण किया गया। शोध मण्डल द्वारा विद्यावारिधि उपाधि हेतु प्रदत्त नियमों के अनुपालन में शोधार्थियों के स्थायी पंजीकरण की अनुशासा की गयी। विद्या परियोग द्वारा शोध मण्डल की बैठक में सात उपलब्धियों के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

संकल्प संख्या १.६ :

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नियमित एवं अंशकालीन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु गठित समिति द्वारा तैयार शैक्षणिक नियम-परिचायिका विद्या परियोग की पुष्टि हेतु सार्व प्रस्तुत।

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नियमित एवं अंशकालीन पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शैक्षणिक-नियम-परिचायिका तैयार करने हेतु गठित समिति द्वारा तैयार शैक्षणिक-नियम-परिचायिका 2024-25 को विद्या परियोग द्वारा पुष्टि की गयी तथा यह सुझाव भी दिया गया कि समस्त पीठप्रमुखों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा शैक्षणिक नियम परिचायिका में प्रदत्त समस्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए।

संकल्प संख्या १.७ :

केन्द्रीय शोध समीक्षा समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों का कार्यवृत्त विद्या परियोग की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

विद्या परियोग द्वारा केन्द्रीय शोध समीक्षा समिति की बैठकों में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गयी। विद्या परियोग द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि सभी पीठ प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष/मार्गनिर्देशक अपने-अपने विभाग में पंजीकृत शोध छात्रों को

सत्यापित
VERIFIED

Shri Lal Bahadur Shastri, National Sanskrit University
S-4, Qutub Institutional Area, New Delhi - 110016
Shri Lal Bahadur Shastri, National Sanskrit University
S-4, Qutub Institutional Area, New Delhi - 110016

संकल्प संख्या १.८ :

यू.जी.मो. द्वारा जारी किए गये नियमों में संघर्ष ये समय-समय पर जारी होते हैं, ताकि शोध छात्र अपना शोध राज्य निर्धारित नियमों के अनुसार रह सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक कैलेण्डर 2024-25 तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त विद्यापरिषद् की पुष्टि हेतु सादर प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक कैलेण्डर 2024-25 तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक के कार्यवृत्त की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गयी। विद्या परिषद् के सदस्यों को यह भी अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णयानुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णयानुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 अनुपालन में समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु लिखित प्रवेश परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एन.टी.ए.) एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार नॉन (सी.भू.टी.) परीक्षा के परिणामों के आधार पर सूची संयार कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी।

संकल्प संख्या १.९ :

छात्रावास परिचय एवं नियमावली विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत। शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु छात्रावास परिचय एवं नियमावली तैयार करने के लिए गठित समिति द्वारा लिये गये नियमों के कार्यवृत्त की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गयी।

संकल्प संख्या १.१० :

परीक्षा घण्डल की संस्थापित एवं कुलपति महोदय की स्वीकृति अनुसार शैक्षणिक सत्र 2023-24 से सम्बन्धित छात्रों की जनवरी माह में आयोजित परीक्षाएं शास्त्री एवं बी.ए. योग (प्रथम, तृतीय एवं पंचम सैमेस्टर), आचार्य एवं एम.ए. (योग, हिन्दू अध्ययन, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षाचार्य (प्रथम एवं तृतीय सैमेस्टर) के नियमित एवं पुनः परीक्षार्थियों की परीक्षाओं का दिनांक 28.2.2024 (अधिसूचना -1/2024) को जारी किया गया परीक्षा परिणाम विद्या परिषद् की पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

परीक्षा विभाग द्वारा आयोजित सत्रों एवं पुनः परीक्षाएं आयोजित की गईं। निर्धारित प्रक्रियानुसार परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु परीक्षा घण्डल द्वारा लिए गए नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित करने की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गयी।

संकल्प संख्या १.११ :

शोधोपाद्धति समिति द्वारा संस्थापित दिनांक १.१२.२०२३ से ३०.५.२०२४ तक वाक् परीक्षा सम्पन्न विद्यावारिधि (पी.एच.डी.) के छात्रों की सूची विद्या परिषद् को पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

शोध उपाधि समिति द्वारा संस्थापित 16 शोध छात्रों को जारी अस्थायी प्रमाण-पत्र की सूची की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गई। विद्या परिषद् द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि शोध छात्रों को अपना शोध प्रबन्ध तैयार करते जमय भाषा दक्षता तथा शोध प्रबन्ध तैयार करने हेतु निर्धारित सभी नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने-अपने विभाग में पंजोकृत शोध छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी साहित्यिक चौरा रोकथाम

सत्यापित
VERIFIED

कुलसाचिव Registrar

श्री लल बहादुर शास्त्री गाईपाल द्वारा
Shri Lal Bahadur Shashi Nath Sastry Dated : १५/५/२०२४
वी.ए, यूनिव संस्थानिक भौति, नई दिल्ली-१००१६
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-10016

श्री ५१८

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, विश्वविद्यालय में प्रदत्त सभी नियमों सहा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, राज्य-सम्बन्ध पर जारी दिशा-निर्देशों गे भी अधिकार करताया जाए ताकि शोध छात्रों द्वारा अपना खोप प्रयत्न तैयार घारते साथ विभिन्न प्रकार की असुविध न हो।

संकल्प संख्या ९.१२ : शैक्षणिक सत्र 2023-24 द्वारा छात्र काल्याण परिषद् गठित करने द्वारा समिति की शैक्षणिक सत्र 2023-24 द्वारा छात्र काल्याण परिषद् की पुष्टि द्वारा प्रस्तुत।

शैक्षणिक नियम परिचयिका 2023-24 में प्रदत्त नियमानुसार विश्वविद्यालय के सभी छात्रों में इड-संकल्प एवं निष्ठापूर्वक सामग्रिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक-विकास के लिए, नियमित एवं संगठित-जीवन के लिए, अधिकारी, कर्मचारी एवं अध्यापक-वर्ग के साथ समन्वयात्मक-सम्बन्ध स्थापित करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए छात्रकल्याण-परिषद् के गठन की विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि दी गई।

संकल्प संख्या ९.१३ : दिनांक 4.1.2024 एवं 1.5.2024 को आयोजित आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की बैठकों में लिए गए निर्णयों का कार्यवृत्त विद्या परिषद् की पुष्टि द्वारा प्रस्तुत।

विद्या परिषद् द्वारा दिनांक 4.1.2024 एवं 1.5.2024 को सम्पन्न हुई आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की बैठकों में लिए गए निर्णयों का कार्यवृत्त की पुष्टि दी गई तथा जिन विषयों पर कृत कार्यवाही किन्होंने कारणवश अभी तक अपेक्षित है, सम्बन्धित विभाग/समिति उन विषयों पर यथारीत आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकृति द्वारा प्रस्तुत करें।

संकल्प संख्या ९.१४ : दिनांक 19.6.2023 को आयोजित विद्या परिषद् की सातवीं बैठक में लिए गए नियमानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes के अनुपालन में विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा तैयार पाद्यक्रम विद्या परिषद् की पुष्टि द्वारा प्रस्तुत।

दिनांक 19.06.2023 की आयोजित विद्या परिषद् की सातवीं बैठक के सफलत्व संख्या 7.3 में सिये गये निर्णय के अनुपालन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रदत्त प्रायधानों के अनुसार विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभागों द्वारा शास्त्री/वी.ए. योग कक्षा द्वारा 03/04 वर्षीय अवधि के मापदंडों के अनुसार पाद्यक्रम तैयार करने द्वारा सम्बन्धित विभाग के अध्ययन मण्डलों की बैठक आयोजित कर Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes के अनुसार पाद्यक्रम तैयार किये जा चुके हैं। विद्या परिषद् द्वारा अध्ययन मण्डलों द्वारा तैयार पाद्यक्रमों की पुष्टि की गई तथा यह नुस्खाव भी दिया गया कि सम्बन्धित विभाग Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes के अन्तर्गत निर्धारित पाद्यक्रम संरचना के अनुसार ही अध्ययन-अध्यापन सुनिश्चित करें तथा अपने-अपने विभाग में पंजीकृत छात्रों को नवीन पाद्यक्रम के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी भी प्रदान करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी पाद्यक्रम दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन करने द्वारा आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ द्वारा आवश्यकतानुसार कार्यशाला

सत्याग्रहित
VERIFIED

का ये आयोगन किया जाए।

संकल्प संख्या १.१५ : अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को प्राक्षशास्त्री (10+2) कक्षा हेतु सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा तैयार पाद्यक्रम विद्या परियद् के सूचनार्थ प्रस्तुत।

सम्बन्धित विभागों द्वारा उत्तरमध्यमा/प्राक्षशास्त्री/सीनियर सेकेण्डरी(10+2) हेतु तैयारपाद्यक्रमों को दिनांक 22.3.2024 को आयोजित कार्य परियद् द्वारा पालित ज्ञकल्प संख्या 10.5(3) के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। सम्बद्धता प्रदान करने हेतु प्रदत्त नियमों को संज्ञान में लेते हुए विद्या परियद् द्वारा यह सुझाव दिया गया कि उक्त पाद्यक्रम हेतु सम्बद्धता प्राप्त करने के सम्बन्ध में जो आवेदन प्राप्त हो चुके हैं सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार अग्रिम कार्यवाही पूर्ण की जाए।

संकल्प संख्या १.१६ : शैक्षणिक सत्र २०२३-२४ में विद्यावारिधि पाद्यक्रम में प्रवेश के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का कार्यवृत्त विद्या परियद् की पुष्टि हेतु सादर प्रस्तुत।

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विद्यावारिधि पाद्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्थिति प्रवेश परोक्षा का आयोजित करवाने तथा परोक्षा परिणाम घोषित करने हेतु गठित समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यवृत्त को विद्या परियद् द्वारा पुष्टि की गई।

संकल्प संख्या १.१७ : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes के अनुसार पाद्यक्रम प्रारूप तैयार करने हेतु गठित समिति की दैठक का कार्यवृत्त विद्यापरियद की पुष्टि हेतु सादर प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी प्रपत्र 12/12/2022 के अनुसार प्रेषित प्रारूप (Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes) हेतु जारी दिशा-निर्देश, पाद्यक्रम संरचना एवं विषयों की श्रेणी को संज्ञान में लेते हुए पाद्यक्रम प्रारूप समिति द्वारा पूर्व में निर्धारित पाद्यक्रमों को Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes के अनुसार पाद्यक्रम संरचना एवं पाद्यक्रम विवरण (Course Structure and Course Component) के अनुसालन में वाइत संशोधन/परिमार्जन एवं नवीनीकरण के अनुसार बहु-विषयक, क्षमता संवर्धन, कौशल संवर्धन, मूल्य वर्धन, प्रशिक्षण, अनुसंधान परियोजना श्रेणी के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए नए विषयों को संचालित करने हेतु लिए गए निर्णयों की विद्या परियद् द्वारा पुष्टि की गई तथा यह निर्णय भी लिया गया कि सम्बन्धित विभाग नए विषयों का पाद्यक्रम निर्धारित प्रपत्र के अनुसार तैयार कर पाद्यक्रम प्रारूप समिति के समक्ष 15 दिन के भोतर प्रस्तुत करें। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पंजीकृत होने वाले छात्रों को संशोधित पाद्यक्रम के अनुसार ही अध्ययन-अध्यापन करवाना होगा।

संकल्प संख्या १.१८ : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचना दिनांक 28.3.2024 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 से विद्यावारिधि में प्रवेश हेतु निर्धारित दिशानिर्देश विश्वविद्यालय में लागू करने हेतु विद्या परियद् के विचारण प्रस्तुत।

VERIFIED

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 28.3.2024 वाले प्रकाशित सूचना के अनुसार जारी दिशा-निरेशों द्वारा अनुपालन में पौर्णाधिक सत्र 2024-25 के विश्वविद्यालय में विद्यावारिधि (पीएचडी) पाद्यक्रमों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार NTA द्वारा आयोजित होने वाली UGC-NE-प्रैक्षिक में प्राप्त डंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में अवश्यक कार्यवाही तथा प्रवेश संबंधी प्रक्रिया एवं नियमावली का कार्य शांथ विभाग द्वारा पूर्ण किया जाएगा।

संकल्प संख्या १.१९ : आधुनिक विषय पीठ के अन्तर्गत हिन्दी, हिन्दू अध्ययन, अंग्रेजी एवं समाजशास्त्र विषयों में विद्यावारिधि पाद्यक्रम संचालित करने के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त विद्या परिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।


इन्हीं संस्कृत विश्वविद्यालय एकट-2020 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुपालन में एकल विषयक विश्वविद्यालय से बहुविषयक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने तथा छात्रहित को ध्यान में रखते हुए आधुनिक विषय पीठ के अन्तर्गत हिन्दी, हिन्दू अध्ययन, अंग्रेजी एवं समाजशास्त्र विषयों में विद्यावारिधि पाद्यक्रम संचालित करने की सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान कर गई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों को संज्ञान में लेते हुए विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि नये विषयों को संचालित करने हेतु नम्बरित विभागों द्वारा सत्रीय पाद्यक्रम रूपरेखा, प्रवेश अर्हता, प्रवेश हेतु निर्धारित स्थान, प्रवेश शुल्क एवं अन्य विवरण हैं। यह विषयक विद्या परिषद् की रिपोर्ट कुलपति महोदय को प्रस्तुत की जाए। तदुपरान्त निर्धारित प्रक्रियानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण को जायेगी तथा यह निर्णय भी लिय गया कि विश्वविद्यालय द्वारा पद स्वीकृति हेतु शिक्षा मंत्रालय का वश प्रेरित किया जाए। यह पाद्यक्रम सत्र 2024-25 से आरम्भ किये जा सकते हैं।

संकल्प संख्या १.२० : आधुनिक विषय पीठ के अन्तर्गत एम.ए. राजनीति विज्ञान संचालित करने हेतु पीठ प्रमुख द्वारा प्रेरित प्रस्ताव विद्या परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत।

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एकट-2020 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुपालन में एकल विषयक विश्वविद्यालय से बहुविषयक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने तथा छात्रहित को ध्यान में रखते हुए आधुनिक विषय पीठ के अन्तर्गत एम.ए. राजनीति विज्ञान पाद्यक्रम संचालित करने की सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान की गई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों को संज्ञान में लेते हुए विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि एम.ए. राजनीति विज्ञान विषय को संचालित करने हेतु नम्बरित विभाग द्वारा पाद्यक्रम रूपरेखा (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप), प्रवेश अर्हता, प्रवेश हेतु निर्धारित स्थान, प्रवेश शुल्क एवं अन्य विवरण हैं। यह विषयक विद्या परिषद् की रिपोर्ट कुलपति महोदय को प्रस्तुत की जाए। तदुपरान्त निर्धारित



प्रक्रियानुसार आवश्यक कार्यताही पृष्ठ को जायेगा तथा यह निम्न भी लिया गया कि पाद्यक्रम को संचालित करने से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यबाही हेतु पत्र प्रेषित किया जाए। पाद्यक्रम को शुरू करने से पहले आवश्यक स्थान तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा।

संकल्प संख्या ९.२१ :

विभागाध्यक्ष, ज्योतिष विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार विभाग के अन्तर्गत संहिता ज्योतिष विषय में शास्त्री पाद्यक्रम संचालित करने हेतु अध्ययन मण्डल की बैठक का कार्यवृत्त विद्या परिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

दिनांक 19.06.2023 को आयोजित विद्यापरिषद् की सातवीं बैठक में संकल्प संख्या 7.20 (6) के अनुसार ज्योतिष विभाग के अन्तर्गत प्रथम चरण में शास्त्री संहिता ज्योतिष विषय संचालित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। विद्या परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में ज्योतिष विभाग द्वारा दिनांक 13.07.2023 को अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित कर संहिता ज्योतिष विषय का पाद्यक्रम, प्रवेश अर्हता, प्रवेश शुल्क निर्धारित करने हेतु लिये गये निर्णयों के कार्यवृत्त की विद्या परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई तथा यह निर्णय भी लिया गया कि पाद्यक्रम को संचालित करने से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यबाही हेतु पत्र प्रेषित किया जाए। पाद्यक्रम को शुरू करने से पहले आवश्यक स्थान तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा।

संकल्प संख्या ९.२२ :

पीठमुख आधुनिक विषय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार आचार्य श्री सीताराम चर्तुवेदी स्मृति व्याख्यान माला को विश्वविद्यालय में आयोजित बात्वाने हेतु विद्या परिषद् की स्वीकृति हेतु जादर प्रस्तुत।

विद्या परिषद् द्वारा आचार्य श्री सीताराम चर्तुवेदी के जीवन्वृत्त एवं संस्कृत जगत में योगदान की सहभाना करते हुए विश्वविद्यालय में उनके नाम पर स्मारक व्याख्यानमाला आयोजित करवाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। सम्बन्धित पीठ द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार व्याख्यानमाला आयोजित करने हेतु निर्धारित समय-अंदरिके द्वारा इस व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाएगा।

संकल्प संख्या ९.२३ :

अतिरिक्त छात्रावास की उपलब्धता को सम्बन्ध में कार्य परिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय विद्या परिषद् के सूचनार्थ सादर प्रस्तुत।

कार्य परिषद् द्वारा अतिरिक्त छात्रावास उपलब्ध करवाने की स्वीकृति संबंधी कार्य परिषद् के निर्णय की प्रसन्नतापूर्वक पुष्टि की गई तथा इस प्रस्ताव पर छात्रावास अधिकारी द्वारा शोभातारीग्र आवश्यक कार्यबाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

— संकल्प संख्या ९.२४ :

VERIFIED

शीर प्रमुख, दर्शनशास्त्र द्वारा श्री स्वामी फरपात्री शोधाध्ययन रोड के स्थापना एवं दर्शन संकायान्तर्गत श्री स्वामिनारायण बंदान के अध्ययन-अध्यापन एवं शोधकार्य आरम्भ करने हेतु प्रेषित प्रस्ताव विद्या परिषद् के विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु सादर प्रस्तुत।

उक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत किया गया तथा

पाद्यक्रम जो अध्ययन मण्डल के समक्ष रामीका हेतु प्रस्तुत किया जाए। श्री स्थापति फरपात्री शोधाध्ययन पीठ 'सरकारी नियमों के अनुसार सनस्त आवश्यक प्रक्रियाएं' सम्बन्धित कारो जाने के उपरांत यह पाद्यक्रम राज्यालय संचालन 2024-25 से आरंभ किया जा सकता है। दर्शन संकाय के अन्तर्गत श्रीस्वामी नारायण वेदान्त का पाद्यक्रम श्रीस्वामी नारायण ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित है, तदनुसार श्रीस्वामी नारायण ट्रस्ट आवश्यक संसाधन तथा यित्त आदि की व्यवस्था उपरांत पाद्यक्रम प्रारम्भ किया जा सकता है।

संकल्प संख्या १.२५ :

शोध वैधागाध्यक्ष द्वारा प्रेषित ग्रस्ताव के अनुसार विश्वविद्यालय में 'पाण्डुलिपि विज्ञान एवं लिपि विज्ञान' में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाद्यक्रम संचालित करने की स्वीकृति हेतु सादर प्रस्तुत।

विद्या परिषद् द्वारा शोध विभाग के अन्तर्गत 'पाण्डुलिपि विज्ञान एवं लिपि विज्ञान' एक वर्षीय स्नातकोत्तर (PG) डिप्लोमा पाद्यक्रमों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्वयंसिद्ध पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि पाद्यक्रम को संचालित करने हेतु प्रवेश अहंता, प्रवेश शुल्क, प्रवेश हेतु स्थान तथा पाद्यक्रम को तैयार करने हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित फर घृत कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायें। तदुपरांत आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। समस्त निर्धारित प्रक्रियाएं पूर्ण होने के उपरांत स्वीकृति प्रदान करने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया। पाद्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व कथाओं की उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित ही जाए।

संकल्प संख्या १.२६ :

दर्शनपीठ के अन्तर्गत बौद्ध दर्शन विभाग खोलने एवं शास्त्री, आचार्य तथा विद्यावारिधि के पाद्यक्रम तैयार करने सम्बन्धी दर्शनपीठ प्रभुख के ग्रस्ताव पर विद्या परिषद् में विचारार्थ प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय (प्रथम बैठक 28. 11.1921 में संकल्प संख्या 4), क्लेन्टीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक्ट-2020 में प्रदत्त 'वैरवविद्यालय के उद्देश्यों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुपासन में विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन विभाग की स्थापना तथा विभाग के अन्तर्गत शास्त्री, आचार्य तथा विद्यावारिधि के पाद्यक्रम संचालित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि पाद्यक्रम को संचालित करने हेतु प्रवेश अहंता, प्रवेश शुल्क, प्रवेश हेतु स्थान तथा पाद्यक्रम को तैयार करने हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाये। प्रो. सुरीप कुमार जैन द्वारा इस विभाग के अन्तर्गत पालि भाषा को शी शामिल किये जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत किया गया। समस्त निर्धारित प्रक्रियाएं पूर्ण होने के उपरांत यह पाद्यक्रम अध्ययन मण्डल की समीक्षा के उपरांत सत्र 2025-26 से प्रारम्भ किया जा सकता है। आधुनिक विषय पीठ के अन्तर्गत वी.ए. एवं एम.ए. इतिहास संचालित करने हेतु

संकल्प संख्या-१.२७
VERIFIED

10

पीठ प्रमुख द्वारा प्रेपित प्रस्ताव विद्या परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत।

केन्द्रीय संचालन विश्वविद्यालय एक्ट-2020 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुपालन में एकल विषयक विश्वविद्यालय से बहुविषयक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने तथा छात्रहित को ध्यान में रखते हुए आधुनिक विषय पीठ के अन्तर्गत बी.ए एवं एम.ए इतिहास पाठ्यक्रम संचालित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों को संज्ञन में लेते हुए विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि बी.ए एवं एम.ए इतिहास विषय को संचालित करने हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा पाठ्यक्रम रूपरेखा (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप), प्रबंश अहंता, प्रवेश हेतु, निर्धारित स्थान, प्रवेश शुल्क एवं अन्य विवरण तैयार करने हेतु अध्ययन मण्डल की ऐडक आयोजित कर दूँट एवं अर्थवाही की रिपोर्ट कुलापति महोदय को प्रस्तुत की जाए। तदुपरान्त निर्धारित प्रक्रियानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व कक्षाओं की उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

संकल्प संख्या ९.२८:

विद्यावारिधि पाठ्यक्रमों में पंजीकृत होने वाले छात्रों का सत्रीय पाठ्यक्रम ऑफलाइन तथा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव विद्या परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत।

विद्यावारिधि पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जारी दिशा-निर्देश-2022 के अनुसार ऑफलाइन माध्यम से ही संचालित किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों में जिन अंशों में दूष्ट प्रदान की गई है, उन अंशों में उपलब्ध कालन किया जाए।

संकल्प संख्या ९.३९:

आधुनिक विषय पीठ एवं अन्तर्गत बी.ए, एवं एम.ए मनोविज्ञान विषय संचालित करने हेतु पीठ प्रमुख द्वारा प्रेपित प्रस्ताव विद्या परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत।
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक्ट-2020 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुपालन में एकल विषयक विश्वविद्यालय से बहुविषयक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने तथा छात्रहित को ध्यान में रखते हुए आधुनिक विषय पीठ के अन्तर्गत बी.ए एवं एम.ए, मनोविज्ञान पाठ्यक्रम संचालित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। पाठ्यक्रम भारतीय मनोविज्ञान को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया जाए। शिक्षा मंत्रालय द्वारा पद स्वीकृति के उपरांत प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकती है। पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व कक्षाओं की उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचारार्थ प्रस्तुत अन्य विषय।

सत्यापित
VERIFIED

विश्वविद्यालय ने पृथक् से झीड़ा विभाग (Department of Sports & Physical Education) की स्थापना करने हेतु झीड़ा प्रभारी द्वारा प्रेपित

11

५१८

कूलसंचय / Reg. No.

ਪਾਤਲ ਮੁੱਲ + ਰੂਪਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰਥ ਪ੍ਰਗੁਣ।

विद्या परिषद् के सदस्य में प्रभारी (कोड़ा) द्वारा विश्वविद्यालय में पृथक् से खोज विभाग (Department of Sports & Physical Education) की स्थापना करने हेतु प्रश्नात्मक प्रेषित किया गया। जिसका उत्तरण अपने प्रकार से है:-

प्रीड़ा साम्बित यिभिन खेल गतिविधियों का आयोजन एवं प्रतिदिन अभ्यास (Practice of Sports Event) यिश्वरियालय मे उपलब्ध संसाधनों (एंटे मेरान) के अधार पर किया जाए जैसे कि कुर्सी, कबड्डी, रस्सा-कास्ती, बैडमिंटन, चौलीधाल, क्रिकेट आदि।

उक्त खेल गतिविधियों के सफल संचालन हेतु निर्धारित स्थान/कार्यालय तथा कर्मचारियों की नियुक्ति, जिम ट्रेनर-1, सहायक-1, लिपिक-2, ग्राउंडसमैन-2, स्टोरकीपर-1, एम.टी.एस.-2 एवं सम्बन्धित खेलों के कोचों की नियन्त्रित प्रैस्ट फँकलटी के रूप की जाए।

स्वीपिंग तथा इन्डोर खेलों हेतु आई.आई.टी. कैम्पस एवं जे.एन.यू. कैम्पस के संयुक्त तत्त्वाधान में खेलों का अध्यास किया जा सकता है।

व्यायामशाला हेतु विश्वविद्यालय में एक खुला व्यायामशाला स्थापित किया जाय जिसकी लिस्ट पृथक से संलग्न है।

विभाग के अन्तर्गत संचालित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रोग्राम :-

Under-Graduate Three years Courses

Bachelor of Physical Education and Sports (BPES) with 30 seats.

Bachelor of Sports Nutrition & Dietetics (BSc) with 30 seats

विभाग स्थापित किये जाने का प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत करते हुए सर्वंसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :--

01. कीड़ी वैभाग स्थापित किये जाने के लिए अध्ययन मण्डल की दैठक आयोजित की जाए जिसमें Under-Graduate Three years Courses

 - Bachelor of Physical Education and Sports (BPES) with 30 seats.
 - Bachelor of Sports Nutrition & Dietetics (BSc) with 30 seats के पाठ्यक्रम तैयार कर समीक्षा हेतु प्रस्तुत किये जाएं।

02. पद सूजन करने हेतु प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय को प्रेपित किया जाए।

03. यित्र समिति की दैठक में छान्नहित हेतु ए.आई.यू. ए खेलों में भाग लेने हेतु टी.ए./डी.ए., अल्पाहार इत्यादि के विषय में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाएं।

04. खेल मंत्रालय को छान्नहित में विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायाँ जाने वाली सुविधाओं के अनुदान हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पश्च प्रेपित किया जाए।

सत्यापित
VERIFIED

Scoville

848

कार्यसूची संख्या 9.30 (2) : ज्योतिप्रिय पिंगांग के अन्वानि पृथग् रो धर्मपूरा कोस में लम्हुपाराशी, ज्योतिप्रिय एवं रोग, लम्हुजातकाम्, जातकालकार संचालित करने रो सम्बन्धित प्रस्ताव विद्या परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत।

(क) विभागाध्यक्ष, ज्योतिप्रिय विभाग द्वाय प्रेपित प्रस्ताव के अनुसार ज्योतिप्रिय विभाग द्वाय शास्त्री, आचार्य, विद्यावाचित्प्रिय एवं अंशकालीन पाद्यक्रम (ज्योतिप्रिय प्रवेशिका, ज्योतिप्राज्ञ, भैषज्य ज्योतिर्द एवं एड्योस ज्योतिप्रिय भूषण डिस्ट्रोमा) की कक्षायें निरन्तर सुधाहर रूप से संचालित की जा रही है। छात्रों की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए "कैफ्यूल कोर्स" भी सूर्योदय औनलाइन अध्ययन विद्यालय से उच्चाया जा सकता है। कैफ्यूल कोर्स में लम्हुपाराशी, ज्योतिप्रिय एवं रोग, लम्हुजातकाम्, जातकालकार इत्यादि विषयों को लिया जा सकता है। इस कोर्स की अवधि 3 महीने की एवं फीस 5100/- रु जा सकती है। यह कोर्स शोपवार से शुक्रवार को संचालित किया जा सकता है।


(ख) विभागाध्यक्ष द्वाय यह भी प्रस्तावित किया गया है कि भैषज्य ज्योतिप्रिय डिस्ट्रोमा शनिवार एवं रविवार को संचालित किया जा रहा है। योग विभाग के छात्रों का निवेदन है कि यह पाद्यक्रम कार्यदिवस में किया जाये जिससे सभी नियमित छात्र भी लाभान्वित हो सके। अतः यह कोर्स भी कार्यदिवस (सोमवार से शुक्रवार) के शाम को संचालित किया जा सकता है।

टक्कत प्रस्ताव के संबंध में सर्वसम्मति से निनलिखित निर्णय लिये गये :-
01. (क) पर अंकित प्रस्ताव को संदर्भान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई। स्ववित्त आधारित पाद्यक्रम संचालित करने हेतु अध्ययन मण्डल की दैटक आयोजित कर कृत कार्यवाही को कुलनते महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

02. भैषज्य ज्योतिप्रिय डिस्ट्रोमा शनिवार य रविवार के स्थान पर योग एवं अन्य विधार्थियों के हित को दुष्टिगत रखते हुए रुचनाह के चार कार्यदिवसों में सायं 06.00 से 08.00 बजे तक संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अभियांत्रिकी विभाग द्वाय विश्वविद्यालय में अंतिरिक्त भवनों के निर्माण हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद् के सूचनार्थ तथ नुस्खि हेतु प्रस्तुत।

अभियांत्रिकी विभाग द्वाय प्रेपित प्रस्ताव के अनुसार विश्वविद्यालय में अंतिरिक्त भवनों का निर्माण किया जाना है, जिसकी स्वीकृति भवन समिति, वित समिति तथा कार्य परिषद् द्वाय प्रदान की जा धुकी है। इस पर विद्या परिषद् द्वाय प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा प्रस्ताव की पुष्टि की गई। फीस की दूष्टि एनलाइन भवनन समिति द्वाय विश्वविद्यालय से होगी। भविस्त में अंतिरिक्त उपलब्ध भवन को किराये आदि पर देने हेतु चाहासमय प्रशासनिक निर्णय लिया जा सकता है।



Lal Bahadur Shastri National Sarskar University
Shri Lal Bahadur Shastri National Sarskar University
वी-4, कुटुंब संस्थान क्षेत्र, नई दिल्ली-110016
B-4, Qutub Institutional Area, New Delhi-110016

कार्यसूची संख्या 9.30 (4) : आपुनिक विषय पीठ के अन्तर्गत श्री.ए. एवं एम.ए. पर्यावरण विषय, संचालित करने हेतु पीठ प्रमुख द्वारा प्रेपित प्रस्ताव विद्यापरिषद् के विचाराध प्रस्तुत।

इस विषय पर विचार-टिमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि इफ्स पाद्यक्रमों को संचालित करने के विषय में प्रस्ताव की समीक्षा हेतु प्रस्ताव पीठाध्यक्षों में बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाए। इस प्रस्ताव के विद्या परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

कार्यसूची संख्या 9.30 (5) : पीठ प्रमुख, पुराणविद्या द्वारा प्रेपित प्रस्ताव के अनुसार पीठ के अन्तर्गत संचालित किए जाने वाले पाद्यक्रमों को तैयार करने हेतु आयोजित अध्ययन मण्डल की बैठकों का कार्यवृत्त विद्या परिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

विद्या परिषद् के संज्ञान में लाया जाता है कि दिनांक 19.6.2023 को आयोजित सातवीं बैठक की संकल्प संख्या 7.16 के अन्तर्गत पुराण विद्यापीठ की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। विद्या परिषद् द्वारा लिए गए निर्णयानुसार पुराण विद्यापीठ के अन्तर्गत विभागों द्वारा संचालित विए जाने वाले पाद्यक्रमों को तैयार करने हेतु अध्ययन मण्डल की बैठकें आयोजित की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैं:

पुरातत्व विभाग

धर्मागम विभाग

श्रावीन इतिहास विभाग

संगीत विभाग

अध्ययन मण्डलों द्वारा नियन्त्रित विषयों का आवार्य एम.ए. कक्षा का पाद्यक्रम रूपरेखा, प्रवेश आर्ट्स, प्रवेश हेतु नियांत्रित स्थान, प्रवेश गुल्क एवं अन्य विवरण तैयार किया गया है, जोकि विद्या परिषद् की स्वीकृति हेतु सातार प्रस्तुत।

“इफ्स प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि साहित्य एवं संस्कृति पीठ के अन्तर्गत ‘पुराण विभाग’ को पुराण विद्या पाठ में स्थानांतरित किया जाता है।” अतः पुराण विद्या पीठ के अन्तर्गत नियन्त्रित विभाग होंगे :—

पुराण विभाग

पुरातत्व विभाग

धर्मागम विभाग

श्रावीन इतिहास विभाग

संगीत विभाग

पाद्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व कक्षाओं की उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित को जाए, तदुपर्यंत हो उपरांत पाद्यक्रम चरण क्रमानुसार नियमों के अनुरूप प्रारम्भ किये जा सकेंगे।

सत्यापित
VERIFIED

कुलसंचिव / Registrar
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
वी-५, बी-१, सांस्कृति नगर, नई दिल्ली-११००३०६
E-mail: lalbahadurshastri@rediffmail.com, lalbahadurshastri@rediffmail.com

14

४१०८

कार्यसूची संख्या 9.30 (६) :

पीठ प्रमुख, शिक्षाशारन द्वारा प्रेदित प्रस्ताव के अनुसार शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य एवं विद्यावारिधि पाद्यक्रमों के पुनरीक्षण हेतु आयोजित अध्ययेन भण्डल बैठक में लिए गए नियंत्रों का कार्यवृत्त विद्या परिषद् के विचारधर्म प्रस्तुत।

शिक्षाशास्त्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार अध्ययन मण्डल द्वारा तीरा
शिक्षाशास्त्री शिक्षाचार्य एवं विद्यावारिधि पाठ्यक्रमों को लागू करने को
स्वीकृति प्रदान को गई। विद्या परिपद द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि
पाठ्यक्रमों एवं परीक्षा की भाषा संस्कृत ही रहेगी।

कार्यसूची संख्या 9.30 (7) :

विभागाभ्यक्ति धर्मशास्त्र द्वारा प्रस्तुत प्रत्ताव के अनुसार भारतीय ज्ञान दरम्परा एवं धर्म विधि पीठ का नाम सर्वसम्पत्ति से विचार-विमर्श करने के उपरांत "धर्म-विधि पीठ" सुनिश्चित किया गया। षट्-षेषां पीठ के अन्तर्गत आने वाले "धर्मशास्त्र विभाग" को धर्म-विधि पीठ" के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया। इस पीठ के अन्तर्गत निष्पालिंगित विभाग होंगे, जिनके पाठ्यक्रम तैयार हैं :--

- धर्मशास्त्र विभाग
 - प्राचीन भारतीय पर्याधरण विभाग
 - प्राचीन भारतीय मानवाधिकार विभाग
 - प्राचीन भारतीय विधि विभाग

शेष दो विभागों के पाठ्यक्रम तैयार किये जाने हैं :--

05. प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र विभाग
06. प्राचीन भारतीय इतिहास-पुस्तक व अभिलेख विभाग

प्राचीन भारतीय विधि विभाग के क्रियान्वयन हेतु 'यार कार्टोसिल आफ इंडिया' से अनुमति आवश्यक है। क्रम संख्या-01 से 04 तक के विभागों के पाद्यक्रम तैयार कर अध्ययन मण्डल द्वारा स्वीकृत हैं, क्रम संख्या-05 व 06 के विभागों के पाद्यक्रम अध्ययन मण्डल द्वारा स्वीकृत किये जाने हैं। उक्त पाद्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक बैठक प्रो. भरार्हीर सिंह के सहयोग से जुलाई, 2024 में आयोजित की जाए। प्रो. देवीप्रसाद भिपाठी ने सुझाव दिया कि सर्वोच्च विद्यों के पाद्यक्रम एवं शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप होने चाहिए। अन्य पीटों में विभागों की पुनर्वृद्धि नहीं होनी चाहिए। सेंद्रनिक रूप से स्वीकृत विभागों में अध्ययन-अध्यापन हेतु पद-स्वीकृति के लिए विस्तृत प्रस्ताव शिक्षा विभाग को प्रेसित किया जाए। तदुपरान रूप संसाधनों की उपलब्धतानुसार प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ की जा सकती है। समर्त क्रियान्वयन पूर्ण होने के उपरान्त प्रवेश प्रक्रिया माननीय कुलपति जी की स्वीकृति से आरम्भ की जा सकती है। प्राचीन विधि शास्त्र अंशकालीन पाद्यक्रम एवं मानवाधिकार अंशकालीन पाद्यक्रम सन् 2024-25 से अध्ययन मण्डल की समीक्षा के उपरान्त आरम्भ की जा सकते हैं। पाद्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व कक्षाओं की उपलब्धता देखी जाए। अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित रूप से जाए।

सत्यापित
VERIFIED

Surya Regd. No. 1
Shri Lal Bank, Sonarpur, Dibrugarh
S-4, P.O. Sonarpur, Assam
B-4, Quaid-i-Azam Road, New Delhi - 110001

कार्यसूची संख्या 9.30 (8) :

श्रमण विद्या भीठ की स्थापना तथा प्राकृतिक एवं साहित्य के प्रधानाधीन
एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को पुनः संचालित करने हेतु।
प्रो. सतीप चूड़ार जैन द्वारा प्रेषित प्रत्याख्य एवं अनुसार निम्नलिखित निर्णय
लिये गये :—

01. श्रमण विद्या भीठ की स्थापना को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति
प्रदान की गई। विभाग पाठ्यक्रम एवं अन्य विवरण तैयार करने हेतु
अध्ययन घण्टात की बैठक आयोजित की जाए।

02. प्राकृत भाषा एवं साहित्य के पाठ्यक्रमों को अंशकालीन पाठ्यक्रम
के रूप में संचालित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
विभागाध्यक्ष इस पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
विभागाध्यक्ष इस पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

कार्यसूची संख्या 9.30 (9) :

विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य को दो पालियों में विभाजन करने हेतु।
विद्या परिषद् द्वारा कक्षाओं तथा अन्य संसाधनों की कमी को देखते हुए
सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के अध्ययन-अध्यापन को
सुचारू रूप से सम्पन्न करने हेतु दो पालियों में विभाजन किया जाए।
इसका प्रस्ताव विभागाध्यक्ष एवं पीठाध्यक्षों को बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

अध्यक्ष महान्दय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(संतोष कुमार श्रीवास्तव)
सचिव एवं कुलसचिव (प्रभारी)

४५१८
(मुरलीमनोहर पाठक)
कुलपति

